भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2637
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

2637. श्री रामदास तडस:
श्री सुनील कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ई-सिगरेट के सेवन पर प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है क्योंकि उक्त उपकरण अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इसका अनुपालन शुरू कर दिया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस. पी. सिहं बघेल)

(क) से (घ): भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों का प्रतिषेध (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात,परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेटों और इसी तरह के उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिनियम को दिनांक 5 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था।

अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निहित है। इस मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों का प्रतिषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अखिल भारत स्तर पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था।

*****